न्यायालय :- न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना जिला डीडवाना कुचामन

पीठासीन अधिकारी :- पूनम योगी, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या :- 441/2016
सी.आई.एस. संख्या :- 498/2016

खलील अहमद पुत्र फकीर मोहम्मद उम्र 58 साल निवासी मकराना तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन जरिये वारिसान खुर्शीद अहमद पुत्र खलील अहमद निवासी मकराना तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

-परिवादी

बनाम

मनोज कुमार पुत्र नोरतमल उम्र 47 साल निवासी बडू तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

-अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

परिवादी	खलील अहमद पुत्र फकीर मोहम्मद उम्र 58 साल निवासी मकराना तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन जरिये वारिसान खुर्शीद अहमद पुत्र खलील अहमद।
अभियुक्त का नाम व पता	मनोज कुमार पुत्र नोरतमल उम्र 47 साल निवासी बडू तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन।
विद्वान अधिवक्ता परिवादी	श्री सिकंदर खान
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त	श्री रविकांत स्वामी

प्रकरण का संक्षिप्त

अपराध की तिथि	
प्रथम सूचना रिपोर्ट	
परिवाद पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	08.09.2015
आरोप सुनाये जाने की तिथि	10.06.2016
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	15.10.2016
निर्णय की तिथि (यदि हो तो)	08.04.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की क्रम सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण	धारा 428 द.प्र.स. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	मनोज कुमार			धारा 138 एन आई एक्ट	दोषसिद्ध	**धारा 138** में– 2 वर्ष का साधारण कारावास व 2,00,000/– रूपये अर्थदण्ड	-

अभियोजन साक्ष्यों की सूची

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड 1	खलील अहमद	परिवादी

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1	प्रदर्श पी–1	असल चैक
2	प्रदर्श पी–2	रसीद
3	प्रदर्श पी–3	रिटर्न मीमो
4	प्रदर्श पी–4	चैक डिसआनर की सूचना
5	प्रदर्श पी–5	काटी गयी राशि की रसीद
6	प्रदर्श पी–6	विधिक नोटिस
7	प्रदर्श पी–7	पोस्टल रसीद
8	प्रदर्श पी–8	इस्तगासा

प्रतिरक्षा

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
निल		

न्यायालय का प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
निल		

उपस्थित :-

1. परिवादी की ओर से - विद्वान अधिवक्ता श्री सिकंदर खान।

2. अभियुक्त की ओर से - विद्वान अधिवक्ता श्री रविकांत स्वामी।

-::निर्णय::- **दिनांक:- 08.04.2026**

1. उल्लेखनीय है कि श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेड़ता के कार्यालय आदेश क्रमांक 235/16 स्था. दिनांक 21.11.2016 की पालना में हस्तगत प्रकरण अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मकराना से अंतरित होकर इस न्यायालय को वास्ते अतिरिक्त सुनवाई प्राप्त हुआ, जो आदेशिका दिनांक 15.12.2016 से दर्ज रजिस्टर किया जाकर हस्तगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अभियुक्त परिवादी के परिचित व्यक्ति है व परिवादी के पास आते जाते रहते है व इसी विश्वास के कारण अभियुक्त ने परिवादी से दिनांक 05.07.2015 को उधार राशि प्राप्त की जो आपको माफिक लिखित अनुसार लौटाना है। परिवादी को 1,50,000/— अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये दिनांक 05.08.2015 को केनरा बैंक शाखा मकराना का चैक संख्या 499292 का दिनांक 21.07.2015 का देकर गये व यह विश्वास दिलाया की आप परिवादी को उपरोक्त चेक अनुसार अभियुक्त के खाते में से राशि का भुगतान हो जाएगा। तब चैक संख्या 499292 का भुगतान पूर्ण हो जायेगा। अभियुक्त द्वारा दिलाये गये विश्वास के साथ परिवादी ने अपने खाते की बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मकराना अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक को क्लेरिंग हेतु पेश किया जो परिवादी की बैंक ने चैक के खाते की बैंक में इन्केशमेन्ट हेतु भेजा गया। जिस पर अभियुक्त की बैंक ने उक्त चैक के खाते में अपर्याप्त राशि का रिमार्क लगाते हुए परिवादी की बैंक में भेज दिया जो अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक अपर्याप्त राशि के रिमार्क के अनादरित किया हुआ चैक परिवादी की बैंक में भेज दिया जिसको परिवादी की बैंक ने अनादरित किया हुआ चैक मय मीमों व रसीद परिवादी को दिनांक 05.08.2015 को लौटा दिया। परिवादी ने अभियुक्त को चैक डिसऑनर की सूचना उसके स्थायी पर पत्ते जरिये रजिस्ट्र्ड ए.डी. दिनांक 12.08.2015 को अधिवक्ता के मार्फत दिलायी जो अभियुक्त के पत्ते पर भेजा गया परन्तु उक्त रजिस्टर्ड ए.डी की पावती

रसीद परिवादी के अधिवक्ता के पास नहीं लौटी है एवं अभियुक्त का जानकारी होते हुए भी परिवादी को चैक अनुसार राशि का भुगतान नही किया। अभियुक्त को मालुम था की उसके खाते में चैक अनुसार पर्याप्त राशि नहीं है फिर भी अभियुक्त ने रकम की अदायगी बाबत चैक दिया जो चैक अनुसार अभियुक्त के खाते में राशि नहीं होने के कारण चैक डिसऑनर हुआ है जो आपका उक्त कृत्य एन.आई.एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध है। ....इत्यादि।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद, शपथ—पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त मनोज कुमार के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट का दिनांक 15.09.2015 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त के उपस्थित आने पर दिनांक 10.06.2016 को धारा 138 एन.आई. एक्ट का आरोप सारांश अलग से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. परिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड. 01 खलील अहमद को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए गए है—

क्रं. सं.	दस्तावेज संख्या	दस्तोजात का विवरण
1.	प्रदर्श पी—1	असल चैक
2.	प्रदर्श पी—2	रसीद
3.	प्रदर्श पी—3	रिटर्न मीमो
4.	प्रदर्श पी—4	चैक डिसआनर की सूचना
5.	प्रदर्श पी—5	काटी गयी राशि की रसीद
6.	प्रदर्श पी—6	विधिक नोटिस
7.	प्रदर्श पी—7	पोस्टल रसीद
8.	प्रदर्श पी—8	इस्तगासा

5. अभियुक्त के कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गये तो जिसमें अभियुक्त द्वारा निर्दोष होने एवं झूठा फंसाये जाने का कथन किया है। साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने हेतु अभियुक्त को पर्याप्त अवसर देने के पश्चात साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं की गयी।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। उभय पक्षों को ध्यान में रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखे तो परिवादी पी.ड. 01 खलील अहमद ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि मुख्य परीक्षण हेतु शपथ पत्र उसके द्वारा लिखवाया जाकर पढ सुनकर शपथ पत्र पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक प्रदर्श पी 1 है। चैक प्रस्तुत रसीद प्रदर्श पी 2 है जो बैंक में चैक क्लीरियम हेतु पेश की थी। अभियुक्त के खाते में चैक के अनुसार राशि नहीं होने से अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक अनादरित हुआ डिशआनर मिमोह प्रदर्श पी 3 है उस परिवादी को बैंक ने चैक डिशआनर की सूचना दी जो प्रदर्श पी 4 है चैक डिशआनर होने से उसके खाते से निकाली गयी राशि की रसीद प्रदर्श पी 5 है। उसने अभियुक्त को चैक डिशआनर की सूचना दिलाई व वैधानिक नोटिस की प्रति प्रदर्श पी 6 है। अभियुक्त को जो रजिस्टर ए.डी. नोटिस दिलाया उसकी पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 7 है। नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो चुका है पावती रशीद लौट के नहीं आयी है। नोटिस प्राप्त होने के बाद म्याद समाप्त होने पर उसने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जो प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। आज तक उसे अभियुक्त ने चैक डिशआनर की राशि की अदायगी नहीं की है और अभियुक्त ने अपराध कारित किया है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि उसने अभियुक्त को 05.07.15 को ऋण स्वरूप रूपये उधार दिये। रूप्ये देते वक्त भागुराम व एक अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। जिन्होंने बतौर गवाह लिखित पर हस्ताक्षर किये है। वह दिनांक 05.07.15 को लिखित आज साथ नहीं लाया। यह सही है कि 05.07.15 को लिखित जो पेश की थी वो मूल के साथ पेश नहीं की लिखित उसके पास है। उसमे चैक नंबर और अमाउंट लिखा था। उसके शपथ पत्र में पद संख्या 1 में उधार राशि माफिक लिखित अनुसार लौटाने का जो उल्लेख है उसमें लिखित अनुसार से तात्पर्य चैक में अंकित तारीख के अनुसार लौटाने से है। विवादित चैक की उक्त लिखित असल अभियुक्त के पास ही है। उसे चैक दिनांक 27.07.15 को दिया था। यह कहना गलत है कि उसने जो ऋण दिया था उसके संबंध में दिनांक 21.07.15 को अभियुक्त से जो चैक लिये वो ऋण की लिखित की सिक्योरिटी पेटे लिये हो। अभियुक्त से उसका लेनदेन दो सालों से चल रहा है। इस मामले के अलावा अभियुक्त

ने उससे 2—3 बार पैसे उधार लिये जो वापस लौटा दिये अभियुक्त उससे कभी 5 लाख कभी 10 लाख आवष्यकता अनुसार ले जाता था। उसने आज दिन तक अभियुक्त को 19 लाख रूपये का ऋण दिया है जिसके चैक अभियुक्त ने उसे अदा किये है। चैक अनादरण के बाद जो नोटिस उसकी तारीख उसे याद नहीं है। नोटिस दिये जाने के बाद उसने अभियुक्त से उसके पैसों की मांग नहीं की क्योंकि वह उसे मिलता हीं नहीं था। उसके द्वारा भेजे गये नोटिस की पावती रशीद नहीं मिलने से संबंधित पोस्ट आफिस में कोई जांच पड़ताल नहीं की। अभियुक्त को नोटिस किस तारीख को मिला इसकी उसे जानकारी नहीं है लेकिन नोटिस मिल गया था इसकी जानकारी उसे मुल्जिम से ही प्राप्त हुई है उसने मौखिक बताया नोटिस जारी करने के 1 माह बाद मुल्जिम उसे मिला था और नोटिस मिलने की बात बतायी थी। अभियुक्त को नोटिस मिल गया और उसने पैसे नहीं दिये तब उसने यह परिवाद पेश किया था यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 1 में चैक की राशि व दिनांक व अन्य इबारत उसके द्वारा भरी गयी हो अभियुक्त ने भर कर दिया था यह कहना गलत है कि दिनांक 05.07.15 की लिखित के बाद दिनांक 21.07.15 को अभियुक्त को आग्रह करके चैक ऋण की अदायगी बाबत सिक्योरिटी पेटे लिये हो लिखित अनुसार लिये गये ऋण की अदायगी की तारीख 21.07.15 से आगे की होने की वजह से चैक सिक्योरिटी पेटे लिये हो।

7. बहस अंतिम उभयपक्षकारान सुनी गयी। उक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथित किया कि अभियुक्त द्वारा रूप्यों की जरूरत होने से 1,50,000/- रूपये परिवादी से उधार लिये तथा उसके भुगतान पेटे परिवादी को चैक संख्या 499292 उसकी बैंक कैनरा बैंक शाखा मकराना का राशि 1,50,000/- रूपये दिनांक 05.08.2015 का दिया गया था एवं नोटिस मिलने के पश्चात भी परिवादी को उधार रूपये नहीं दिये इसलिये यह धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है इसलिये अभियुक्त को दो गुणा जुर्माना राशि एवं दो साल के दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

8. वहीं दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान तर्क दिए कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को कोई राशि उधार नहीं दी गयी थी। परिवादी

द्वारा परिवाद पत्र में उधार राशि माफिक लिखित अनुसार लौटाने का कथन किया है परंतु परिवादी द्वारा उक्त लिखित भी प्रस्तुत नहीं की है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत कथनों में विरोधाभास है एवं परिवादी द्वारा यह भी जाहिर नहीं किया गया है कि परिवादी के पास उक्त रूपये किस स्रोत के द्वारा आये। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9. न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु है-

(1) "क्या अभियुक्त द्वारा ऋण अथवा विधिक दायित्व के भुगतान पेटे परिवादी को चैक सं. 499292 अपने खाते की बैंक केनरा बैंक शाखा मकराना, राशि 1,50,000/- रुपये का दिनांक 05.08.2015 को जारी किया?"

(2) "क्या अभियुक्त द्वारा चैक लिखे जाने की तारीख से उक्त चैक वैधता की अवधि के भीतर चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के बैंक द्वारा ''अपर्याप्त राशि' के रिमार्क के साथ लौटा दिया गया?"

(3) "क्या परिवादी द्वारा बैंक से चैक अनादरण की सूचना प्राप्ति की दिनांक से 30 दिवस के भीतर अभियुक्त को लिखित में विधिक सूचना देकर उक्त चैक में वर्णित राशि की मांग किये जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर परिवादी को उक्त चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया?"

(4) यदि हां तो अभियुक्त किस दंड का भागीदार है?"

-:: विचारणीय बिंदु सं. 01 ::-

10. न्यायालय द्वारा विरचित प्रथम विचारणीय बिंदू के संबंध में न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना है कि क्या अभियुक्त द्वारा उधार राशि के भुगतान पेटे स्वयं के खाते का एक चैक, चैक संख्या 499292 दिनांकित 05.08.2015 राशि 1,50,000/- रूपये का जारी किया इस संबंध में परिवादी खलील अहमद न्यायालय के समक्ष गवाह पी.ड 1 के रूप में परीक्षित हुआ है। जिसने अपने मुख्य परीक्षण में परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये यह कथन किया है कि अभियुक्त परिवादी का परीचित है। जिसके कारण अभियुक्त द्वारा उधार राशि मांगने पर परिवादी द्वारा अभियुक्त को 1,50,000/- रूपये नगद उधार दिये थे। उधार ली गयी राशि के भुगतान स्वरूप अभियुक्त ने चैक प्रदर्श पी 1 चैक संख्या 499292 राशि

1,50,000/- रूपये दिनांक 21.07.2015 को परिवादी को दिया। उक्त चैक परिवादी ने संग्रहण वास्ते उसके बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मकराना में जमा करवाया किंतु अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि के अंकन के साथ लौटा दिया गया। चैक प्रस्तुत रसीद प्रदर्श पी 2 तथा डिसऑनर मीमो प्रदर्श पी 3 है। चैक डिशऑनर की सूचना प्रदर्श पी 4 है। चैक डिशऑनर से उसके खाते से काटी गयी राशि की रशीद प्रदर्श पी 5 है। जिसकी सूचना जरिये नोटिस अभियुक्त को दिलायी गयी जो कि प्रदर्श पी 6 है। पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 7 है। अभियुक्त को सूचना होने के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा राशि परिवादी को नहीं लौटाई। इस संबंध में पत्रावली पर परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य पर गौर करें तो प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी 1 के रूप में उपलब्ध है। उक्त चैक 499292 दिनांकित 05.08.2015 राशि 1,50,000/- रूपये का है। प्रश्नगत चैक बैंक में जमा कराने की रशीद प्रदर्श पी 2 है। जिसके मुताबिक दिनांक 04.08.2015 को बैंक में जमा करवाया गया है। चैक प्रदर्श पी 1 का अनादरित मीमों प्रदर्श पी 3 अपर्याप्त राशि की टिप्पणी के आधार पर बैंक द्वारा अनादरित किया गया। जिसका अनादरण मीमो प्रदर्श पी 3 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है। इस स्तर पर यह उल्लेखनीय है कि रिटर्न मीमो प्रदर्श पी 3 पर कैनरा बैंक की सील अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी 1 के अनादरण का उक्त दस्तावेज विधि प्रमाणक है। न्यायिक दृष्टांत *Triyambak S.K. Hegde Vs. Sripad 2022(1) CCC 098 SC* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि यदि प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर दर्शित हैं तो धारा 118ए व 139 अधिनियम की उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने यह चैक धारा 138 एन.आई. एक्ट में उल्लेखित किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिये प्रदान किया है। यहां यह उल्लेखित किया जाना भी आवश्यक है कि धारा 118 एन.आई. एक्ट के अधीन उपबंधित है कि जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि प्रतिफल के विषय में यह हर परक्राम्य लिखित प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखित जब प्रतिग्रहित, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिग्रहित, पृष्ठांकित, परक्रमित या अंतरित की गई थी। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि चैक प्रदर्श पी 1 पर मनोज कुमार वैष्णव नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित है।

उक्त चैक अभियुक्त के खाते के नहीं हो व उस पर हस्ताक्षर अभियुक्त का नहीं हो। इस संबंध में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी 1 अभियुक्त के खाते के ही है व उस पर हस्ताक्षर अभियुक्त द्वारा ही किये गये है।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा विवादग्रस्त चैक किसी विधिक दायित्व अथवा ऋण की अदायगी पेटे दिये गये थे, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत रंगप्पा बनाम श्रीमोहन' में यह प्रतिपादित किया गया है कि--

"जब तक तत्प्रतिकुल साबित न हो, यह उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने धारा 138 एन.आई. एक्ट में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।"

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **हितेन पी दलाल बनाम भतिन्द्रनाथ बैनर्जी,** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

"यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि चैक को किसी ऋण या दायित्व के लिए जारी नहीं किया गया था।"

उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट की गई विधिक स्थिति के अनुसार धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम के प्रकरणों में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि प्रकरण में प्रश्नगत चैक किसी विधिक ऋण या दायित्व के पेटे नहीं दिया गया हो।

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 एवं 139 में चैक धारक के पक्ष में यह विधि है कि न्यायालय को यह उपधारणा करनी आवश्यक है कि चैक के धारक ने धारा 138 में उल्लेखित किसी ऋण या दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के लिए चैक प्राप्त किया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त के. भाष्कर बनाम शंकरन विद्याबालन व अन्य में उपधारणा के संबंध में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि-

"जब चैक पर अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार कर

लिया जाता है तब धारा 118 एन.आई. एक्ट में वर्णित उपधारणा आकृषित होगी कि चैक पर जो तारीख वर्णित है. वह चैक प्रतिफलार्थ लिखा गया था तथा धारा 139 न्यायालय पर यह भार डालती है कि वह उपधारणा करें कि चैक धारक ने ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन हेतु चैक प्राप्त किया था। यद्यपि उक्त सभी उपधारणा खंडनीय प्रकृति की है। उपधारणा खंडित करने का भार अभियुक्त पर है।"

उपरोक्त प्रावधान तथा न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में पत्रावली का यदि अवलोकन किया जाये तो अभियुक्त द्वारा अपनी धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के परीक्षण के दौरान अभियुक्त द्वारा मात्र निर्दोष होने एवं झूठा फंसाये जाने का कथन किया है। इस संबंध में अभियुक्त द्वारा बचाव में प्रतिपरीक्षा भी पेश नहीं की गयी। अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक उसके हस्ताक्षर के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठायी है। इसलिय न्यायिक दृष्टांत के. भास्कर बनाम शंकरन विद्याबालन व अन्य में उपधारणा के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार धारा 118 व 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का सृजन परिवादी के पक्ष में हुआ है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **हितेन पी दलाल बनाम भतिंद्रनाथ बैनर्जी** AIR 2001 SC 3897 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

"उपधारणाओं को खण्डित करने के लिए मात्र मुल्जिम का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है अपितु स्पष्टीकरण का साबित होना आवश्यक है। सुस्थापित विधि अनुसार अपने उपर अधिरोपित उक्त भार को या तो स्वयं सकारात्मक साक्ष्य पेश कर अन्तरित कर सकता है अथवा परिवादी द्वारा पेश साक्ष्य के आधार पर ही अपने उपर अधिरोपित सूबत के भार को अन्तरित कर सकता है। ऐसी दशा में उसे अपने बचाव सम्भावनाओं की अधि-संभाव्यता के स्तर पर साबित करना होता है न कि संदेह से परे साबित करना होता है।"

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **एम. अब्बास हाजी बनाम टी. एन चन्नाकेशव** AIR 2019 SC 4617 में प्रतिपादित सिद्धांत का अवलोकन किया जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह स्पष्ट किया गया है कि -

"अभियुक्त द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि परिवादी के हाथों मे अभियुक्त के चैक किस प्रकार से आए। जिरह के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से जो सुझाव परिवादी को दिए गए थे, परिवादी ने उन्हें अस्वीकार किया है, इसलिए यह भार अभियुक्त पर है कि वह अपना केस साबित करे।" हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्त द्वारा जिरह के दौरान दिए गए सुझावों को प्रमाणित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है इसलिए अभियुक्त का यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के खाली पड़े चैक का दुरुपयोग किया गया हो।

सम्पूर्ण विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा परिवादी की कहानी को मौखिक अभिवचनों से इनकार किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य** 2019 CrLJ 2400 SC में यह स्पष्ट बताया गया है कि "मात्र इनकार करने से या संदेह उत्पन्न करने से धारा 118 व 139 पराक्रम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा का खण्डन होना नहीं माना जाएगा। अभियुक्त को अपने बचाव में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है" उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसरण के पश्चात् पत्रावाली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं की गई है तथा न ही परिवादी की साक्ष्य से व रेकर्ड पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों से ऐसी कोई परिस्थितियां या आधार न्यायालय के समक्ष लाए गए है जिससे अभियुक्त की कहानी संभाव्य प्रकट हो।

अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस यह भी तर्क रहा है कि परिवादी द्वारा उधार राशि को माफिक लिखित लौटाने का कथन किया है इस संबंध में परिवादी द्वारा लिखित प्रस्तुत नहीं की है। इस संबंध में परिवादी पक्ष द्वारा कथन किये है कि लिखित उनके पास नहीं है। अभियुक्त के पास है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो अभियुक्त द्वारा ना ही धारा 313 सीआरपीसी के कथनों में इस तथ्य को लिखाया है ना ही उसके तर्कों के संबंध में प्रतिपरीक्षा पेश की है। केवल मात्र दौराने बहस मौखिक कथन करने से अभियुक्त द्वारा यह तथ्य साबित नहीं होता है।

अतः अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अभियुक्त द्वारा जो बचाव प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में केवल मौखिक अभिवचनों के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवादी की जिरह से भी ऐसा कोई तथ्य उभर कर नहीं आया है, जिससे अभियुक्त का बचाव प्रकट हो व परिवादी की कहानी में संदेह उत्पन्न हो। यदि परिवादी द्वारा अभियुक्त के चैक का दुरुपयोग किया गया था तो सामान्य अनुक्रम में कोई भी व्यक्ति अपने हस्ताक्षरित चैक को पुनः प्राप्त करने के प्रयास अवश्य करता है, किंतु अभियुक्त ने इस संबंध में परिवादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की हो ऐसा भी पत्रावली के अवलोकन से दृष्टिगत नहीं होता है। अभियुक्त के विरुद्ध की गई उपधारणा के खंडन हेतु अभियुक्त द्वारा केवल मौखिक अभिवचन करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे परिवादी की कहानी में संदेह उत्पन्न कर ठोस प्रतिरक्षा प्रस्तुत करना आवश्यक है, किंतु हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त ने परिवादी के साक्ष्य से भी इस आशय की कोई संभाव्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं की है जिससे विधिक ऋण या दायित्व के संबंध में संदेह उत्पन्न हो। परिवादी के पक्ष में धारा 118 व 139 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के तहत सृजित हुई उपधारणा के खंडन हेतु केवल मात्र उपरोक्त आशय के अभिवचनों से अभियुक्त की कहानी को कोई बल प्रदान नहीं होता है।

इस प्रकार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव संभाव्य बचाव की श्रेणी में नहीं आता है जिससे अभियुक्त परिवादी के पक्ष में उत्पन्न उपधारणा को खण्डित करने में असफल रहा है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा विधिक ऋण के निर्वाह हेतु अपने खाते का चैक परिवादी के पक्ष में जारी किया गया है।

-::विचारणीय बिंदु सं. 02::-

11. उक्त बिंदु के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक को चैक की वैध अवधि के भीतर बैंक में समाशोधन

बाबत् प्रस्तुत कर दिया गया था एवं उक्त चैक को अनादरित कर बैंक द्वारा परिवादी को लौटा दिया गया था। इस संबंध में प्रदर्श पी-2 चैक पेश करने की रसीद दिनांक 04.08.2015 परिवादी द्वारा पेश की गई है। विवादित चैक प्रदर्श पी-1 दिनांक 05.08.2015 को जारी किया गया था। अतः उक्त चैक, चैक वैधता की अवधि के भीतर ही बैंक के समक्ष परिवादी द्वारा पेश करना दर्शित होता है। प्रदर्श पी-3 रिटर्न मीमो दिनांकित 05.08.2015 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके तहत चैक संख्या 499292 फंड इनशफिशिएंट अर्थात् अपर्याप्त राशि के रिमार्क से परिवादी को लौटा दिया जाना दर्शित होता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह दर्शित है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी-1 चैक की वैधता अवधि के भीतर ही परिवादी द्वारा बैंक में समाशोधन हेतु पेश किया गया था। रिटर्न मीमो प्रदर्श पी-3 केनरा बैंक की सील तथा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है। ऐसे में उक्त प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी-1 के अनादरण का उक्त दस्तावेज विधि प्रमाणक है। उक्त के खंडन स्वरूप अभियुक्त ने कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं किये है। अतः उक्त विचारणीय बिंदु परिवादी के पक्ष में तय किया जाता है।

-:: विचारणीय बिंदु सं. 03 ::-

12. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में न्यायालय को यह निर्धारण करना है कि रिटर्न मीमो दिनांक 05.08.2015 का है, जिसकी सूचना मिलने के पश्चात् परिवादी द्वारा अभियुक्त के पते या जरिये रजिस्टर्ड नोटिस विहित सूचना चैक में वर्णित राशि की मांग किये जाने बाबत् प्रेषित किया। पत्रावली पर प्रदर्श पी-6 विधिक नोटिस उपलब्ध है, जिसकी डाक रसीद प्रदर्श पी-7 भी पेश किया गया है। अभियुक्त को प्रेषित विधिक नोटिस का अवलोकन किया जावे तो विधिक नोटिस अभियुक्त को उसके पते पर प्राप्त हुआ था एवं अभियुक्त पर सम्यक रूप से विधिक नोटिस की तामील हो चुकी है। यदि अभियुक्त के सही पते पर रजिस्टर्ड डाक से तामील की जाती है तथा रजिस्ट्री की रसीद पत्रावली पर उपलब्ध है तो धारा 27 सामान्य खण्ड अधिनियम के अन्तर्गत यह उपधारणा की जायेगी की मुलजिम पर नोटिस

की तामील हो चुकी है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायलाय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टात *C.C. Alavi Haji vs Palapetty muhammed-Ans. Appeal (Crl).) No. 767 of 2007* में भी यह मत अंकित किया गया है कि सम्मन तामील के सन्दर्भ में विधि का उदार निर्वचन किया जाना चाहिए तथा ज्ञात सही पते पर नोटिस भेजने पर धारा 27 सामान्य खण्ड अधिनियम के तहत तामील की उपधारणा की जायेगी। उक्त चैक के सम्बन्ध में न्यायालय को यह दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा चैक अनादरण की सूचना प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अभियुक्त द्वारा उसके द्वारा उधार ली गई नकद राशि की मांग किये जाने का लिखित नोटिस प्रेषित किया गया था जिसकी प्राप्ति के पश्चात् भी पन्द्रह दिवस के भीतर परिवादी को अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक राशि का भुगतान नहीं किया। अतः विचारणीय बिन्दु संख्या 03 परिवादी के पक्ष में तय किया जाता है।

13. अतः न्यायालय के समक्ष परीक्षित साक्षीगणों एवम् दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन पश्चात् यह दर्शित होता है कि परिवादी से अभियुक्त ने रूपयों की अदायगी हेतु एक चैक नंबर 499292 केनरा बैंक शाखा, मकराना का रूपये 1,50,000/- रूपये का अपने हस्ताक्षरित करके दिनांकित 5.8.2015 का परिवादी को दिया। जिसे परिवादी ने भुगतान हेतु बैंक में पेश किया जो आपके खाते में अपर्याप्त राशि होने से चैक अनादरित हो गया जिसे दिनांक 5.8.2015 को परिवादी को लोटा दिया। जिस पर आपको जरिये वकील रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 12.8.2015 को भेजा गया, जिसके बावजूद आपने चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। अतः उपरोक्त विवेचन पश्चात् अभियुक्त धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>–::आदेश::–</u>

14. परिणामस्वरूप अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र नोरतमल उम्र 47 साल निवासी बडू तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन को अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया

जाता है।

(पूनम योगी आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन

-: सजा के प्रश्न पर सुना गया:-

15. विद्धान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण सम्मन प्रकृति का है तथा अभियुक्त मजदूरी पेशा व्यक्ति है। अतः परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। जबकि विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने निवेदन किया कि अभियुक्त ने धारा 138 एन.आई. एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध किया है। अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जावें व कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

16. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत अपराध किया गया है जो कि आर्थिक अपराध है, यदि ऐसे अपराधों में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है तो ऐसे अपराधों में विधायिका द्वारा निर्मित विधि के उद्देश्य विफल हो जावेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत *R.k. Vijayan vs Baby- Anr. 2012(1) SCC 260* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि- "As the the provisions of Chapter XVII of the Act strongly lean towards grant of reimbursement of the loss by way of compensation, the courts should, unless there are special circumstances, in all cases of conviction, uniformly exercise the power to levy fine upto twice the cheque amount (keeping in view the cheque amount and the simple interest thereon at 9% per annum as the reasonable quantum of loss) and direct payment of such amount as compensation." अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों

को दष्टिगत रखते हुए अभियक्त को परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

-:दण्डादेश:-

17. फलतः मनोज कुमार पुत्र नोरतमल उम्र 47 साल निवासी बडू तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन को अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट में दोषसिद्धि के फलस्वरूप 02 वर्ष के साधारण कारावास का दण्ड दिया जाता है एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (3) के तहत अभियुक्त को बतौर प्रतिकर राशि 2,00,000/- अक्षरे दो लाख रूपये जमा कराने के आदेश दिए जाते है जो बाद गुजरने मियाद अपील परिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है। अदम अदायगी प्रतिकर / क्षतिपूर्ति अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त द्वारा इस मामले में विचारण में न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि यदि कोई हो मूल सजा में समायोजित किया जावे। अभियुक्त के न्यायालय में हाजिरी बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। साथ ही अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437ए सीआरपीसी के तहत दस-दस हजार रुपए जमानत मुचलके इस निर्णय की दिनांक से आगामी छःमाह की अवधि के लिए इस आशय का पेश करे कि वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर या नोटिस प्राप्त होने पर स्वयं को अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति रखेगा। तदनुसार, सजा वारण्ट बनाया जावे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

(पूनम योगी आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन

19. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(पूनम योगी आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन